

न्यायालय तहसीलदार सिकराय

सरकार बनाम हरमजन मीना

मु.नं. ०२ /२०१७

निर्णय दिनांक 17.1.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालवान ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 के तहत न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि अप्रार्थी हरमजन पुत्र श्री रेनड जाति मीना निवासी कालवान ने ग्राम कालवान की आराजी खसरा नम्बर 1126/972 कुल रकबा 12.96 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से ०-०६ हैक्टेयर भूमि पर सम्वत् 2074 में फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ अतः उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे की अप्रार्थी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाईटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है और उसे उक्त भूमि पर से बेदखल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः अप्रार्थी को एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल कर फसल जप्त कर फसल निलामी के आदेश दिये जाते हैं तथा उस पर लगान. १००५ का 50 गुणा शास्ति ५२.५/-रुपये आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को एवं बेदखली/वसूली/फसल निलामी हेतु भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राले 4 वर्ष 2017-18 का पुनः सत्या. 90.
पर 112
240
182
तहसील सिकराय


तहसीलदार सिकराय
सिकराय (बीस)